न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)
वाद(प्रार्थनापत्र) संख्या – 67 / 2019
प्रविष्टि दिनांक – 09.07.2019

उनवान

गिर्राज पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवारी ग्राम ताखोली, टोंक तहसील व जिला टोंक
–आवेदक / वादी

बनाम

1. रामप्यारी पत्नि श्योनारायण जाति जाट निवारी ग्राम ताखोली, टोंक तहसील व जिला टोंक
2. तहसीलदार टोंक
3. बैंक ऑफ बडोदा शाखा टोंक

विपक्षीगण

उपस्थित– श्री सेतराम चौधरी– वकील वादीगण
श्री हेमराज पूनिया– वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद बाबत– उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा–88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

दिनांक : 02/02/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 64, 764, 765, 785 / 2, 788 / 1, 789 / 1, 794 / 2, 834 / 2 कुल किता–8 कुल रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम ताखोली, तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है। उक्त आराजीयात वादी के दत्तक पिता श्योनारायण की कृषि आराजीयात है। मृतक श्योनारायण व प्रतिवादी नं. 1 आपस में पति–पत्नि है तथा उनके कोई संतान नही थी तथा पक्षकारान हिन्दु धर्म के होने से इस धर्म में संतान की महत्वता को दृष्टिगत रखते हुये श्योनारायण व प्रतिवादी नं. 1 ने वादी को संवत 2051 की अक्ष्य तृतिया को वादी के प्राकृतिक माता–पिता ने अपने औरस पुत्र वादी को उनको गोद दे दिया था। गोदनामा पंजीबद्ध किया गया है। तभी से वादी मृतक श्योनारायण व प्रतिवादी नं. 1 का गोद का पुत्र है तथा उन्ही के पास रह रहा है तथा उसकी पहचान के सभी दस्तावेजात जैसे आधारकार्ड, राशनकार्ड, इत्यादी में गोद के पिता के नाम से ही बने हुऐ है। मृतक श्योनारायण का नामांतकरण खोलते समय अकेले प्रतिवादी नं. 1 के नाम ही खोल दिया गया जबकि वादी भी उनके 1/2 हिस्से का मालिक एंव स्वामी है। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी नं. 1 बाबत उद्घोषणा पारित फरमाई जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 64, 764, 765, 785 / 2, 788 / 1, 789 / 1, 794 / 2, 834 / 2 कुल किता–8 कुल रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम ताखोली, तहसील व जिला टोंक (राज0) में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तहसीलदार को इसी अनुरूप अमल दरामद हेतु आदेशित किया जावे एंव प्रतिवादी नं. को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिये दस्तावेजात–जमाबन्दी, नक्शाट्रेस, रजिस्टर्ड गोदनामा, आदि पेश किये।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को तलब किया। प्रतिपक्षी सख्या–1 ने जरिये वकील न्यायालय में राजीनामा पेश कर वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए, वाद को राजीनामा के अनुसार निस्तारण करने का निवेदन किया। राजीनामा पढकर सुनाया तथा बाद स्वीकारोक्ति तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

मुताबिक राजीनामा वादी एंव प्रतिवादी नं. 1 के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है तथा वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादी के वाद को राजीनामा होने से स्वीकार किया जाकर वादपत्र के अनुसार दावा डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है। पक्षकारों के मध्य विवाद नहीं होने से स्थायी निषेधाज्ञा का बिन्दु खारिज किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी नं. 1 बाबत उद्घोषणा खातेदारी स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 64, 764, 765, 785/2, 788/1, 789/1, 794/2, 834/2 कुल किता–8 कुल रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम ताखोली, तहसील व जिला टोंक (राज0) में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेशित किया जाता है।

यह निर्णय आज **दिनांक** 02/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक मुकाम टोंक व अलजाम नित्या के0, आई.ए.एस. द्वारा अध्याशित

उनवान

गिर्राज पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम ताखोली, टोंक तहसील व जिला टोंक

—आवेदक / वादी

बनाम

1. रामप्यारी पत्नि श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम ताखोली, टोंक तहसील व जिला टोंक
2. तहसीलदार टोंक
3. बैंक ऑफ बडोदा शाखा टोंक

विपक्षीगण

उपस्थित— श्री सेतराम चौधरी— वकील वादीगण
श्री हेमराज पूनिया— वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद बाबत— उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा—88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

दावा नं0 67 / 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी नं. 1 बाबत उद्घोषणा खातेदारी स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 64, 764, 765, 785/2, 788/1, 789/1, 794/2, 834/2 कुल किता—8 कुल रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम ताखोली, तहसील व जिला टोंक (राज0) में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेशित किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 02/02/2021 को जारी किया गया।

मोहर

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोटः—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।